



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़

दिनांक – 23.03.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने दो अभियुक्तों को 42 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन आदि में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त मदन उर्फ मददी पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम विजयनगर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को 22 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया एवं अभि० मौ० सद्दाम पुत्र हनीफ निवासी मौ० नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पर मु०अ०सं० 88/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम मदन उपरोक्त व मु०अ०सं० 91/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम सद्दाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

मदन उर्फ मददी पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम विजयनगर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
मौ० सद्दाम पुत्र हनीफ निवासी मौ० नायक सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी –

42 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. हे० कां० 758 अमित कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
2. कां० 1604 अमित कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
3. कां० 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
4. पीआरडी 141 तौकीर खान थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 23.03.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 141/2024 धारा 363/376 भादवि, ¾ पॉक्सो अधिनियम व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.03.2024 को वादी द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 19.03.2024 को अज्ञात व्यक्ति वादी की बहन को बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0असं0 141/2024 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त अभिषेक पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम नन्दगांव थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



का नाम प्रकाश में आया। स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 22.03.2024 को अपहर्ता की बरामदगी की गयी। विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर धारा 376 भादवि, ¾ पॉक्सो अधिनियम व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 141/2024 धारा 363/376 भादवि, ¾ पॉक्सो अधिनियम व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम नन्दगांव थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिषेक पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम नन्दगांव थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 योगेश मावी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2-कां0 202 सचिन कुमार कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3-कां0 1916 सागर कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 23.03.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त फरमान पुत्र अनीस कुरैशी निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 149/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम फरमान उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फरमान पुत्र अनीस कुरैशी निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

अपराधिक इतिहास फरमान उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 144/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 183/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 346/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 394/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 527/2023 धारा 380 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 149/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री जयप्रकाश थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. का0 2174 प्रवेन्द्र कुमार थाना किरतपुर बिजनौर
- 3-का0 810 मोनू कुमार थाना किरतपुर बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 23.03.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 28 पच्चे देशी शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुन्नु पुत्र घिस्सू निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 28 पच्चे देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 91/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम मुन्नु उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुन्नु पुत्र घिस्सू निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

28 पच्चे देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. का0 247 लक्ष्य शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. का0 2459 राजीव कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 23.03.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	को० देहात	भोपाल पुत्र रग्धू कश्यप नि० ग्राम मोड़वाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2	स्योहारा	जुनैद पुत्र जमील नि० मौ० पीर का बाजार कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3	नजीबाबाद	आरिफ पुत्र बुन्दू नि० ग्राम जाब्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4	नजीबाबाद	इमरान पुत्र बुन्दू नि० ग्राम जाब्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



थाना को० देहात



थाना नजीबाबाद



थाना स्योहारा



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंड़ावर

दिनांक 23.03.2024

थाना मंड़ावर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.03.2024 को थाना मंड़ावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भिन्न-भिन्न स्थानों से चेकिंग के दौरान अभियुक्त ईशान हसन पुत्र मुजाहिद निवासी मौहल्ला पटवारियान थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंड़ावर पर मु0अ0स0 109/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम ईशान उपरोक्त पंजीकृत किया गया व अभियुक्त राहुल चरण पुत्र किशोरीलाल निवासी ग्राम भोजपुर थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंड़ावर पर मु0अ0सं0 110/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम राहुल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. ईशान हसन पुत्र मुजाहिद निवासी मौहल्ला पटवारियान थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
2. राहुल चरण पुत्र किशोरीलाल निवासी ग्राम भोजपुर थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

02 अवैध तमंचे 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र गिरी थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
2. म0उ0नि0 जूही थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
3. मुख्य आरक्षी 401 दीपक राणा थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
4. आरक्षी 1075 अजीत थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर